प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आगरा मण्डल, आगरा।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
शिक्षा केन्द्र, 2, सामुदायिक केन्द्र
प्रीत विहार, दिल्ली–110092

पत्रांकःएन0ओ0सी0 / /2022–23 दिनांकः 19-01-2023

विषयः– सेन्ट, जोसफ वर्ल्ड स्कूल, करहल, मैनपुरी को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राजाज्ञा संख्या–2762 / 15–13–91–4(46) / 91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 एवं राजाज्ञा संख्या–1916 / 15–7–09–1(299) / 2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 सपठित शिक्षा निदेशक(मा0), उ0प्र0 के पत्रांकःसा0(1) / शिविर / एन0ओ0सी0 / 7153 / 2009–2010 दिनांक 01 अक्टूबर, 2009 के आलोक में एतदर्थ मण्डलायुक्त आगरा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 09.01.2023 में लिए गये निर्णय के क्रम में सेन्ट, जोसफ वर्ल्ड स्कूल, करहल, मैनपुरी को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैः–

क– विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

ख– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ग– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जन जाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

घ– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद् से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

ङ– संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

च– कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

छ– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेंगी।

ज– विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेगी।

झ– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

ञ– उपर्युक्त क्रम क से झ में कोई परिवर्तन/ संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति के नहीं किया जायेगा।

ट– उपर्युक्त क्रम क से ञ तक के प्रतिबन्धों को सोसायटी के बायलॉज में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

ठ– संस्था को उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पूर्व से मान्यता प्राप्त होने के सम्बन्ध में यदि कोई तथ्य छिपाया गया हो तो यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

ड– विद्यालय द्वारा प्रस्तावित भूमि/भवन में ही विद्यालय संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जा रहा है, अन्यत्र किसी भी भूमि/भवन में संचालित होने वाले विद्यालय अथवा शाखा हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र अमान्य होगा।

ढ– अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी मानकों का पालन करते हुये सम्बन्धित विभाग से प्रत्येक वर्ष जांच/निरीक्षण कराया जायेगा और यथानियम प्रमाण–पत्रों का नवीनीकरण कराया जायेगा।

ण– भविष्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत विभाग द्वारा 'अलाभित समूह' और ' दुर्बल वर्ग' के चयनित किये गये बच्चों का धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत प्रवेश लिया जाना बाध्यकारी होगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है अथवा कोई तथ्य छुपाया गया संज्ञान में आता है तो मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का होगा।

भवदीय

(आर०पी० शर्मा)
सदस्य सचिव एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आगरा मण्डल, आगरा।

पृष्ठा०संख्याःएन०ओ०सी०/ 13507-15 /2022–23 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त (अध्यक्ष–मण्डलीय समिति) आगरा मण्डल, आगरा की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2– विशेष सचिव, (मा०शि०) उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा–7 अनुभाग, लखनऊ।
3– जिलाधिकारी, मैनपुरी।
4– शिक्षा निदेशक(मा0), उत्तर प्रदेश, 18–पार्क रोड, लखनऊ।
5– जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी।
6– प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, सेन्ट, जोसफ वर्ल्ड स्कूल, करहल, मैनपुरी ।
7– निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
8– गार्ड फाइल।

9/1/23
सदस्य सचिव एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आगरा मण्डल, आगरा।